

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- 1.अपील संख्या- 783 / 2017 / अलवर
- 2.अपील संख्या- 784 / 2017 / अलवर
- 3.अपील संख्या- 785 / 2017 / अलवर
- 4.अपील संख्या- 786 / 2017 / अलवर
- 5.अपील संख्या- 787 / 2017 / अलवर
- 6.अपील संख्या -788 / 2017 / अलवर
- 7.अपील संख्या -789 / 2017 / अलवर
- 8.अपील संख्या -790 / 2017 / अलवर
- 9.अपील संख्या -791 / 2017 / अलवर
- 10.अपील संख्या-792 / 2017 / अलवर

मैसर्स एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड  
अलवर

अपीलार्थी

बनाम

- 1.अपीलीय प्राधिकारी  
वाणिज्यिक कर, अलवर
- 2.सहायक आयुक्त  
प्रतिकरापवंचन, राजस्थानर-वृत्त-तृतीय, जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री के.एल.जैन, सदस्य

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.के.जैन  
अभिभाषक  
श्री डी.पी.ओझा  
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.05.2017

निर्णय

1. उपरोक्त दस अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के साथ अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित क्रमशः आदेश दिनांक 10.04.2017 एवं दिनांक 02.05.2017, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिनमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 26, 55 व 61(1)(2)(उ) तथा 33 के अन्तर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.02.2017 के द्वारा कायम की गयी मांग राशियों के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 82(3) के अनुसार विवादित राशियों की 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर चालान पेश नहीं किये जाने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र डिफेक्टिव होने के कारण अपीलें श्रवण योग्य नहीं मानकर खारिज की है तथा कर निर्धारण आदेश दिनांक 23.02.2017 में कायम की गई मांग






राशियों को संशोधित कराने हेतु अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्रों को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा खारिज करने के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की पांचों अपीलों को सारहीन मानकर अपीलीय अधिकारी द्वारा खारिज किया गया है, जिन पर अपीलीय अधिकारी द्वारा रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है।

2. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 82 के तहत प्रथम अपील, अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं अपीलाधीन आदेशों में सृजित मांग को वसूली स्थगित किए जाने हेतु अधिनियम की धारा 38(4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 10.04.2017 को अधिनियम की धारा 38(4) में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को इस आधार पर खारिज किया गया कि किसी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 82(3) के तहत अपील या स्टे प्रार्थना पत्र दायर करते समय विवादित कर राशि की 10 प्रतिशत राशि जमा कराया जाना आवश्यक है जो अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं कराये जाने के फलस्वरूप स्टे प्रार्थना पत्र अपूर्ण है एवं श्रवण योग्य नहीं है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उक्त अपीलीय आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 83 में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 82 के तहत जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमें धारा 82 के प्रावधानों के अनुसार कोई कमी नहीं है। यह कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील एवं स्टे प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलार्थी द्वारा टैक्स की राशि को दस प्रतिशत राशि राजकोष में जमा नहीं करवाई गई है जो अपील/स्टे ग्रहण के लिए आवश्यक है जो पूर्णतया विधि के प्रावधानों के विरुद्ध है। अतः उन्होंने कथन किया कि कर निर्धारण आदेश में टैक्स की कोई मांग नहीं है बल्कि अपीलार्थी के "आगत कर" के दावे (Claim of input tax credit) को खारिज किया गया है जो अपीलार्थी का 'कर' नहीं है बल्कि अपीलार्थी के कर के विरुद्ध समायोजन का दावा है जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से निरस्त किया है।

5. विद्वान अभिभाषक ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि कर निर्धारण आदेश के पूर्व उन्होंने माल के क्रय सम्बन्धित बिलों के जारीकर्ता व्यवसायियों के वास्तविक होने सम्बन्धित सम्पूर्ण साक्ष्य कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये थे एवं उन विक्रेताओं द्वारा विभाग में प्रस्तुत रिटर्न एवं जमा कर राशियों के साक्ष्य भी दे दिये थे। विक्रेताओं द्वारा कर जमा कराने को सूचि हमारे समक्ष पेश करते हुए तर्क



दिया कि इस प्रकरण में आगत कर के क्लेम की पात्रता को लेकर विवाद करते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने उनके दावे को खारिज किया है एवं प्रयकरण में किसी तरह के अपीलार्थी पर "कर" आरोपण का कोई बिन्दु निहित नहीं था इसीलिए कर निर्धारण आदेशों में "कर" की कोई राशि बकाया नहीं बताई गई।

6. विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश में वर्णित तथ्यों के आधार पर कथन किया है कि वे एक सद्भावी क्रयकर्ता व्यवसायी है और विक्रेताओं की किसी अनियमितता पर उनके दावे को निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह तर्क दिया कि विवादित आदेशों में आगत कर के दावे को निरस्त करने के विरुद्ध अपील करना उनका विधिक एवं न्यायिक अधिकार है साथ ही उनका "दावा" विधि के अनुरूप होने से व उसे निरस्त कर मांग कायम करना विधि एवं न्याय के विरुद्ध बताया तथा समस्त मांग राशि की वसूली स्थगित करने एवं अपीलीय अधिकारी को अपील की शीघ्र सुनवाई करने का आदेश करने का अनुरोध भी किया।

7. प्रत्यर्थी विभागीय की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए आगत कर राशि के दावे को निरस्त करने के विरुद्ध दायर अपील के पूर्व दस प्रतिशत राशि जमा कराने की शर्त की पालना नहीं हाने से धारा 38(4) में वसूली पर रोक लगाने के आवेदन को खारिज करने का निवेदन किया।

8. उभय पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलार्थी की ओर से उक्त समस्त मामलो में निर्धारित मांग राशि को स्थगित करने की प्रार्थना को अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश से अस्वीकार कर स्टे प्रार्थना पत्र ग्रहण नहीं करने के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में विधिक स्थिति पर विचार किया गया।

9. सर्वप्रथम प्रकरण में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के धारा 82(3) में अपील एवं स्टे प्रार्थना पत्र की ग्राह्यता के पूर्व कर राशि की दस प्रतिशत राशि की जमा कराने की अनिवार्यता का निर्णय विधि विरुद्ध बताया है एवं दूसरी ओर मांग राशि की वसूली को स्थगित करने का आवेदन किया है।

10. हमारे द्वारा सर्वप्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश में अंकित दस प्रतिशत राशि जमा कराने की अनिवार्यता पर विचार किया गया। अधिनियम की धारा 82(3) को उद्धरित करना समीचीन है :-

"82.(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (4) of section 38, no appeal under this section shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof of the payment of tax and other amounts admitted by the appellant to be due from him or of such instalment thereof as might have become payable and in case of an appeal from an *ex-parte* assessment order, five percent of, and in other cases ten percent of the "disputed tax amount". "

11. उक्त प्रावधान में यह स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के पूर्व वे समस्त राशियां जमा कराना आवश्यक है जो व्यवहारी द्वारा स्वीकार की

जा चुकी होती हैं इसके अलावा विवादित राशि "disputed tax" की दस प्रतिशत राशि जमा करवाना भी आवश्यक होता है जो एक तरफा आदेशों में पांच प्रतिशत तक आवश्यक है। "disputed tax" का अंकन धारा 82(3) के प्रावधान में दिनांक 09.03.2010 को राजस्थान वित्त अधिनियम 2010 से प्रतिस्थापित किया गया था। दिनांक 09.03.2010 से पूर्व इस प्रावधान में जमा राशि Ten Percet of remaining demand over and above the admitted tax अनिवार्य थी।

12. इस तरह दिनांक 09.03.2010 को वित्त अधिनियम,2010 के बाद अपील करने के पूर्व admitted lability के अलावा सृजित मांग में से केवल "विवादित कर राशि"(disputed tax amount) की दस प्रतिशत राशि जमा करवाना आवश्यक किया गया है जबकि पूर्व में कर, ब्याज, शास्ति, या अन्य किसी तरह की मांग राशि की दस प्रतिशत राशि जमा कराने के प्रावधान थे जो 09.03.2010 के बाद केवल "disputed tax amount" तक सीमित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वेट एक्ट के पूर्व प्रचलित RST ACT 1994 में भी अपीलीय प्रावधान में सम्पूर्ण निर्धारित मांग राशि का बीस प्रतिशत राशि धारा 84(3) के तहत दिया जाना अनिवार्य था परन्तु अपीलीय अधिकारी को पूरी राशि वेव करने का भी अधिकार था।

13. उक्त विधि के आलोक में यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण के परीक्षण पर विदित है कि इन विवादित कर निर्धारण आदेशों में किसी कर राशि की मांग सृजित नहीं की गई बल्कि आगत कर के दावे को निरस्त किया गया है जो कि अपीलार्थी के नियमित एवं घोषित कर दायित्व के विरुद्ध समायोजन के रूप में क्लेम लिया गया था। स्पष्ट है कि ऐसे मामलों के विवाद में अपील दायर करते समय किसी राशि को जमा कराने की शर्त नहीं है जैसे कि ब्याज एवं शास्ति या अन्य किसी तरह की मांग जो किसी व्यवहारी के विरुद्ध 'कर' की राशि से भिन्न हो उनमें किसी तरह की विवादित राशि का दस प्रतिशत जमा कराने की शर्त दिनांक 09.03.2010 से हटा दी गई है। अतः अपीलीय आदेश के दस प्रतिशत राशि जमा कराने के आदेश को अपास्त कर अपील ग्रहण के आदेश दिये जाते हैं तथा अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त प्रस्तुत अपीलों की सुनवाई तुरन्त प्रारम्भ कर दो माह में इसका निस्तारण करें।


14. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में स्थगन जारी करने के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। चूंकि अपीलीय अधिकारी ने अपील एवं स्टे प्रार्थना पत्र ग्रहण योग्य नहीं माना था अतः स्टे प्रार्थना पत्रों पर कोई सुनवाई नहीं की है अतः धारा 38 (4) में स्टे प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई कर कर विधि सम्मत् आदेश पारित करने के निर्देश अपीलीय अधिकारी को दिये जाते हैं। साथ ही स्टे प्रार्थना पत्रों की सुनवाई तक कर निर्धारण अधिकारी वसूली के लिए coercive measures का उपयोग न्यायिक दृष्टिसे नहीं करें।



15. उक्त अपीलों में जो अपीलें कर निर्धारण आदेश में संशोधन आवेदन पर दिए गए निर्णयों के विरुद्ध की गई है उन मामलों में किसी राशि का विवाद नहीं है तथा मूल आदेशों के विरुद्ध अपील ग्रहण करने के उक्तानुसार आदेश दिए गए है अतः इन संशोधन आदेशों के विरुद्ध अपीलों पर किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं होने से निस्तारण भी अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने का निर्देश दिया जाता है। फलतः अपील आंशिक स्वीकार कर समस्त प्रकरण अपीलीय अधिकारी को सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)  
सदस्य

  
19/5/2017  
(के.एल.जैन)  
सदस्य